भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3826

दिनांक 11 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

चाइल्ड हेल्पलाइन

3826. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली 112 के साथ एकीकृत करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) और (ख): जी हां। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में यथासंशोधित) की धारा 2 (25) के तहत चाइल्डलाइन सेवाओं को संकट में पड़े बच्चों के लिए चौबीस घंटे की आपातकालीन आउटरीच सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है जो उन्हें आपातकालीन या दीर्घकालिक देखभाल और पुनर्वास सेवा से जोड़ती है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों को सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से 'मिशन वात्सल्य' नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का संचालन कर रहा है। मंत्रालय ने मिशन वात्सल्य योजना के कार्यान्वयन के लिए 05.07.2022 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मिशन वात्सल्य योजना के अनुसार, राज्यों को किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में यथासंशोधित) के तहत यथापरिभाषित बच्चों के लिए 24x7 हेल्पलाइन सेवा निष्पादित करना अधिदेशित कर दिया है। चाइल्ड हेल्पलाइन-1098 के स्वचालन और गृह मंत्रालय की आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली-112 (ईआरएसएस-112) हेल्पलाइन के साथ इसके एकीकरण का भी प्रावधान है। बाल हेल्पलाइन सेवाओं को लागू करने के लिए 31.03.2023 को राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को मानक

संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है। एसओपी के अनुसार, चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा का उद्देश्य ऐसे किसी भी बच्चे को सहारा देना और सहायता करना है जो कठिन परिस्थितियों में है, ताकि उसे आपातकालीन और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान की जा सके और बच्चे को मौजूदा दीर्घकालिक सेवाओं से जोड़ा जा सके । यह तत्काल बचाव से लेकर चिकित्सा, आश्रय, कानूनी सहायता, भावनात्मक समर्थन या मार्गदर्शन प्रदान करने तक हो सकता है। इसलिए चाइल्ड हेल्पलाइन, संकट की स्थिति में पड़े बच्चों और उनके पुनर्वास, बहाली या सामाजिक पुनर्मिलन के लिए उपलब्ध सेवाओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है।

चाइल्ड हेल्पलाइन का अवस्थांतर चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। पहले और दूसरे चरण में, ईआरएसएस-112 के साथ चाइल्ड हेल्पलाइन का एकीकरण कार्य 11 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव, गोवा, गुजरात, लद्दाख, पुद्दुचेरी, मिजोरम, केरल और तमिलनाडु में पूरा हो गया है।

*****